



HAMIRPUR POLICE



जनपद हमीरपुर

दिनांक 18.06.2022

प्रभावी पैरवी कर 03 अभियुक्तों को क्रमशः आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड, 4.5 वर्ष के कारावास व 2.5 हजार रुपये के अर्थ दंड तथा 3.5 वर्ष के कारावास व 2.5 हजार रुपये के अर्थ दंड की सजा दिलायी गयी:-

जनपद पुलिस द्वारा 03 नामजद अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय में की गयी सार्थक पैरवी के फलस्वरूप सजा दिलाई गई-

- 1- दिनांक 22/07/2018 को थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 198/2018 धारा-302 भा0द0सं0 में नामजद अभियुक्त बउआ उर्फ अर्जुन पुत्र मुन्ना नि0 मु0 रामनगर कस्बा व थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास व 20,000 रुपये के अर्थदंड/ की सजा सुनाई गयी।
- 2- दिनांक 07/05/2011 को थाना राठ जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 730/11 धारा-323/504/506 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में नामजद अभियुक्त माता प्रसाद पुत्र नरायन लोधी निवासी अमगँव थाना राठ जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा धारा 323 में 01 वर्ष कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड, धारा 504 भा0द0सं0 में 01 वर्ष कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड, धारा 506 भा0द0सं0 में 02 वर्ष कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड, 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट 06 माह कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।
- 3- दिनांक 28/03/2001 को थाना मौदहा जनपद हमीरपुर में पंजीकृत अ0सं0 52/01 धारा-323/324/504 भा0द0सं0 व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट में नामजद अभियुक्त प्रभू प्रजापति पुत्र मन्नू निवासी अरतरा थाना मौदहा जनपद हमीरपुर को सजा दिलाई गई। इस अपराध में नामित अभियुक्त के विरुद्ध अभियोजन स्तर पर विवेचना में संपूर्ण साक्ष्यों का गहनता से संकलन किया गया, इसी के परिणाम स्वरूप उक्त अभियोग में आरोपी को दोषी करार देते हुए माननीय न्यायालय द्वारा धारा 323 में 06 माह कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड, धारा 324 भा0द0सं0 में 02 वर्ष कारावास व 1000 रुपये के अर्थदंड, धारा 504 भा0द0सं0 में 06 माह कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड, 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट 06 माह कारावास व 500 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई गयी।